



(कर्मचारियों के लाए आरक्षति Air Liquide कैपिटल वृद्धि) भारत के लाए स्थानीय सप्लाइर्स

'2025 Air Liquide ग्रुप कर्मचारी शेयर पेशकश' के तहत शेयर खरीदने का नियम लेने से पहले कृपया इस दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें («myAL myShare 2025»)। आप इस दस्तावेज़ में पाएंगे:

- भाग A में, myAL myShare 2025 का सामान्य विवरण, रपिरेजेटेशन, वॉरंटी और समझौते जनिहें myAL myShare 2025 में भाग लेने पर आपको स्वीकार करना होगा। (भाग A भारत के लाए एक स्थानीय सूचना दस्तावेज़ है जो योजना नियमों का हसिसा है), और
- भाग B में, भारत में प्रतिभागियों के लाए टैक्स से जुड़ी जानकारी है।

इस दस्तावेज़ में Air Liquide समूह के कर्मचारियों के लाए आरक्षति कर्मचारी शेयर योजना के बारे में जानकारी है। इस पेशकश में आपको L'Air Liquide S.A. के शेयरों में निवेश करने के लाए आमंत्रित किया गया है ("L'Air Liquide शेयर")। नीचे myAL myShare 2025 की शर्तें और भारत में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लाए लागू विविध शर्तों का सारांश दिया गया है, जिसमें टैक्स और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुख्य परिणाम शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 एक अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी शेयर योजना है, जो फ्रांस के कानूनों और नियमों के अधीन है।

कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 में भाग लेने का नियम आपका है, अपनी स्थिति और कसी भी स्वतंत्र सलाह की आवश्यकता का ध्यान रखें। कृपया यह भी ध्यान दें कि myAL myShare 2025 और इसकी शर्तें आपके नियोक्ता के साथ आपके रोजगार संबंधों का हसिसा नहीं होंगी। न तो आपका नियोक्ता और न ही L'Air Liquide S.A., myAL myShare 2025 से संबंधित निवेश सलाह देगा। आपको L'Air Liquide S.A. के यूनिवर्सल रजिस्टरेशन डॉक्युमेंट और कसी भी अंतरराष्ट्रीय रपिरेट के पढ़ने-समझने के लाए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें कंपनी की गतिविधियों, रणनीति, वित्तीय परिणामों और इसके व्यवसाय से जुड़े विविध जोखिमों और L'Air Liquide शेयरों में निवेश की महत्वपूरा जानकारी होती है।

myAL myShare 2025 यूरोपीय संघ के अनुच्छेद 1.4(आई) में प्रदान किए गए प्राप्तिकर्ता को प्रकाशित करने से छूट पर निभर करता है। प्राप्तिकर्ता रेगुलेशन (ईयू) 2017/1129, संशोधन के रूप में।

भाग-ए myAL myShare 2025 की स्थानीय पेशकश की जानकारी

कर्मचारियों के लाए आरक्षति शेयर पूँजी वृद्धि

कर्मचारियों के लाए आरक्षति L'Air Liquide S.A. के कैपिटल रजिस्टर के अनुसार, भाग लेने वाले L'Air Liquide समूह की कंपनियों के सभी पात्र कर्मचारियों को L'Air Liquide शेयरों की पेशकश की जाने की उम्मीद है। दुनिया भर में कर्मचारियों के लाए प्रस्तावित कुल पूँजी वृद्धि का उल्लेख सबसक्रिप्शन फॉरम में किया गया है। यदि अनुरोधित शेयर, प्रस्तावित पूँजी वृद्धि से अधिक हैं, तो उन्हें कम किया जा सकता है। ऐसा होने पर, प्रत्येक प्रतिभागी को सूचित किया जाएगा। अनुरोधों को, प्रतिभागी शेयरों की गारंटीकृत न्यूनतम संख्या (प्रतिभागियों की संख्या से वभाजित शेयरों की कुल संख्या के बराबर) दी जाएगी। इस राशि से ऊपर के अनुरोधों को उपलब्ध और अनुरोधित शेयरों की कुल संख्या के अनुपात में दिया जाएगा।

पात्रता

आप myAL myShare 2025 इसमें भाग लेने के पात्र हैं अगर:

- आप सबसक्रिप्शन अवधि के अंत तक (यानी, 13 नवंबर, 2025 को) L'Air Liquide S.A. या L'Air Liquide S.A. की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुमत के सावधानी सहायक कंपनी के कर्मचारी हैं, और
- आपके नियोक्ता ने Air Liquide International की ग्रुप शेयर खरीद योजना का पालन किया है, और
- आप तीन (3) महीनों की न्यूनतम रोजगार स्थिति को पूरा करते हैं। सेवा की यह अवधि एक निश्चिति अवधि के अनुबंध या कई अनुबंधों के तहत हो सकती है, जिसकी नहीं की लिंगातार 1 जनवरी, 2024 और 13 नवंबर, 2025 के बीच हो।

सबसक्रिप्शन अवधि

सबसक्रिप्शन अवधि 13 नवंबर, 2025 से शुरू होगी, और 13 नवंबर, 2025 तक चलेगी (समावेशी)। इसलाएं, myAL myShare 2025 में भाग लेने के लाए, आपको 13 नवंबर, 2025 को या नवीनतम (11:59 बजे से पहले, पेरसि समय) पर सबसक्रिप्शन लेना होगा।

सबसक्रिप्शन अवधि के दौरान, आप myalmyshare2025.airliquide.com पर जाकर, ऑनलाइन सबसक्रिप्शन ले सकते हैं। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपको ईमेल पर भेजा जाएगा। इसके अलावा, आगर आपके पास ऑनलाइन सबसक्रिप्शन लेने के लाए इंटरनेट नहीं हैं तो आप एक पेपर सबसक्रिप्शन फॉर्म भरके भाग ले सकते हैं। यदि आप एक पेपर सबसक्रिप्शन फॉर्म जमा करके और myAL myShare वेबसाइट के माध्यम से भी भाग लेते हैं, तो ऑनलाइन सबसक्रिप्शन का उपयोग किया जाएगा और अंतमि माना जाएगा। जब तक आप ऑनलाइन भाग नहीं लेते हैं, कृपया 13 नवंबर, 2025 को या उससे पहले अपने एचआर प्रतिनिधि को अपना विधिवित भरा हुआ सबसक्रिप्शन फॉर्म जमा कर दें।

सब्सक्रिप्शन की कीमत

L'Air Liquide शेयरों को छूट पर पेश किया जा रहा है। प्रत्येक शेयर के लिए सबसक्रिप्शन मूल्य Euronext Paris (पेरिस स्टॉक एक्सचेंज) पर L'Air Liquide S.A. शेयर की शुरुआती कीमतों के औसत पर आधारित है, जो सबसक्रिप्शन मूल्य ("संदर्भ मूल्य" के तौर पर बताया गया) निर्धारित करने की तारीख से 20 कारोबारी दिन पहले का है। सबसक्रिप्शन मूल्य 29 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित होने की उम्मीद है। सबसक्रिप्शन मूल्य संदर्भ मूल्य शून्य से 20% छूट के बराबर है। उदाहरण के लिए, यदि संदर्भ मूल्य 150 यूरो था, तो सबसक्रिप्शन मूल्य 120 यूरो होगा।

आप अपने नविश के लिए रुपये में भुगतान करेंगे। (३). आपके नविश उददेश्यों के लिए, भारतीय रुपये में आपके भुगतान की राशि आपके नियोक्ता दवारा यूरो (€) में बदल दी जाएगी क्योंकि L'Air Liquide शेयर यूरो (€) में सूचीबद्ध हैं। यूरो (€) में आपके नविश की राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली वनिमिय दर, सबसक्रिप्शन अवधि की शुरुआत से पहले L'Air Liquide दवारा निर्धारित की जाएगी, और सबसक्रिप्शन मूल्य आपको सबसक्रिप्शन मूल्य के साथ सूचित किया जाएगा। L'Air Liquide दवारा निर्धारित वनिमिय दर और वदिशों में धन के वास्तविक रेटिंग की तारीख पर वनिमिय दर के बीच कोई भी भनिन्ता आपके नविश की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।

महत्वपूरा नोट: आपके नविश के जीवन के दौरान, L'Air Liquide शेयरों का मूल्य यूरो (€) और रुपये के बीच मुद्रा वनिमिय दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होगा। (३). नतीजतन, यदि यूरो (यूरो) का मूल्य रुपये के सापेक्ष मजबूत होता है (३), रुपये में व्यक्त शेयर की कीमत बढ़ेगी। दूसरी ओर, यदि यूरो का मूल्य रुपये के सापेक्ष कमजोर होता है (३), रुपये में व्यक्त शेयरों का मूल्य (३) घट जाएगा। इसलिए, यूरो (€) और रुपए (३) के बीच वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव आपके नविश को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

अधिकितम और न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि

myAL myShare 2025 में आप जिस अधिकितम राशि का नविश कर सकते हैं, वह आपके 2025 के आपके सकल वार्षिक पारशिरमकि के 25% से अधिक नहीं हो सकती है, जिसमें प्रदरशन बोनस (यदि कोई हो) शामिल है। अपने सकल वार्षिक पारशिरमकि की गणना करने के लिए, आपको अपना वेतन, रटियर और प्रदरशन बोनस का योग (यदि कोई हो)।

इसके अलावा, यदि आप 12 मासकि वेतन कटौती के माध्यम से अपने नविश के लिए भुगतान करना चुनते हैं, तो प्रत्येक मासकि वेतन कटौती आपके शुद्ध मासकि वेतन के 10% से अधिक नहीं हो सकती है।

आपकी जमिमेदारी यह सुनिश्चित करना है कि आपका नविश 2025 कैलेंडर वर्ष के आधार पर गणना की गई उपरोक्त सीमा से अधिक न हो। गणना करने में, आपको वर्ष के अंत तक परापृत होने वाले पारशिरमकि का अनुमान लगाना होगा; इसलिए, आपको परविरतनीय वेतन या अन्य लाभों के तत्वों को शामिल किए बना अपने पारशिरमकि की गणना करनी चाहिए जिनकी गारंटी नहीं है।

आप सबसक्रिप्शन लेने के लिए जो न्यूनतम राशि चुन सकते हैं, वह एक L'Air Liquide S.A. शेयर है।

भुगतान के तरीके

भुगतान भारतीय रुपये में किया जाना है (३)। L'Air Liquide शेयरों की सबसक्रिप्शन के लिए आपके लिए निम्नलिखित भुगतान वधियाँ उपलब्ध हैं:

- पूरा सबसक्रिप्शन मूल्य के लिए अपने नियोक्ता दवारा फाइनेंस करने या
- आपके दवारा पूरा सबसक्रिप्शन मूल्य (एनईएफटी या आरटीजीएस) का बैंक ट्रांसफर दवारा भुगतान।

आपको सबसक्रिप्शन फॉरेम में अपनी पसंदीदा भुगतान वधि पिसंद का संकेत देना होगा।

अगर आप बैंक हस्तांतरण (एनईएफटी या आरटीजीएस) दवारा अपनी सबसक्रिप्शन का भुगतान करने का वकिलप चुनते हैं, तो आपके नियोक्ता को कुल सबसक्रिप्शन राशि का भुगतान पाना होगा 12 दसिंबर, 2025। इसके साथ ही, बैंक ट्रांसफर करते समय, कृपया अपने एचआर वभाग में नामति व्यक्तिको ट्रांसफर का प्रमाण का दें। बैंक खाते का विवरण जिसमें भुगतान किया जाना चाहिए, सबसक्रिप्शन अवधि शुरू होने से पहले आपको ईमेल किया जाएगा।

फाइनेंसिंग एक अल्पकालिक 'ब्याज मुक्त' ऋण के रूप में होगी, जो 12 (बारह) महीनों में आपके वेतन से जनवरी 2026 से शुरू होने वाली मासकि पेरोल कटौती के माध्यम से चुकाने योग्य/वसूली योग्य होगी। वेतन कटौती की हर कसित का भुगतान, आपके शुद्ध मासकि वेतन के 10% से अधिक नहीं हो सकता है। हालाँकि, उक्त फाइनेंसिंग ब्याज मुक्त होगी, आयकर अधिनियम के अनुसार, एक अनुमानित ब्याज लघिया जाएगा और पुनरभुगतान किए जाने तक आपके लिए एक रयियत और टैक्स योग्य माना जाएगा।

अगर आप फाइनेंसिंग सुवधा का वकिलप चुनते हैं, तो आप अपने नियोक्ता दवारा सबसक्रिप्शन राशि एकत्र करने के लिए जनवरी 2026 से स्वैच्छिक पेरोल कटौती के लिए सहमति देते हैं। अगर उक्त पेरोल कटौती किए जाने से पहले आपका रोजगार कसी भी कारण से समाप्त हो जाता है, तो सबसक्रिप्शन राशि आपके अंतमि वेतन से काटी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप ऋण चुकौती से पहले रोजगार छोड़ देते हैं, तो आपका नियोक्ता पूरा और अंतिम निपिटान के समय आपके पेरोल/वेतन से अवैतनिक योगदान और लागत (यदि कोई हो) काटने का हकदार होगा।

आपके L'Air Liquide शेयरों की कस्टडी

सबसक्राइब किए गए शेयर सीधे आपके दवारा L'Air Liquide S.A. के अपने शेयरधारक सेवा वभाग के साथ पंजीकृत रूप में आयोजित किए जाएंगे।

डिविडेंट

L'Air Liquide शेयरों पर भुगतान किए गए कसी भी डिविडेंट का भुगतान सीधे आपको किया जाएगा, फ्रैंच विहोलडिंग टैक्स लागू होगा। इसके अलावा, दो (२) से अधिक पूरा वर्षों के लिए रखे गए L'Air Liquide शेयर डिविडेंट राशि में 10% की वृद्धि के लिए पात्र होंगे («लॉयलटी बोनस» के रूप में संदर्भित लेकनि कानूनी रूप से डिविडेंट भुगतान के रूप में वर्गीकृत)।

मतदान का अधिकार

L'Air Liquide शेयरों पर मतदान के अधिकार सीधे आपके दवारा उपयोग किए जाएँगे।

मुद्रा वनिमिय नियंत्रण

सभी भारतीय करमचारियों या L'Air Liquide इंडिया के कार्यकारी नदिशकों को बनि कसी मौद्रकि सीमा के ईएसओपी योजनाओं के तहत वदिशी प्रतभूतियों का अधिग्रहण करने की अनुमति है। हालाँकि, myAL myShare 2025 के लिए, प्रत्यक्षमचारी अधिकितम सबसक्रिप्शन राशि ऊपर दी गई है।

कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 में आपकी भागीदारी, आपके योगदान सहति, लागू भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए, जिसमें वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत जारी किए गए नियम और वनियम शामिल हैं, जैसा कसिमय-समय पर संशोधित किया गया है। लबिरलाइजड रेमटिस स्कीम² (एलआरएस) के तहत आपके नियोक्ता दवारा आपकी ओर से दिया सबसक्रिप्शन राशि का रेमटिस 250,000 अमरीकी डालर की सीमा के भीतर है या

¹ अधिक विवरण नीचे टैक्स सेक्शन में दिए गए हैं।

² भारतीय वदिशी मुद्रा नियंत्रण वनियमों की लबिरलाइजड रेमटिस योजना एक भारतीय नविसी करमचारी को एक वत्तिय वर्ष में 250,000 अमरीकी डालर से अधिक वी राशि के लिए एक वदिशी कंपनी की प्रतभूतियों को खरीदने की अनुमति देती है (अरथात् एक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक)। यह सीमा वह कुल राशि है जो एक करमचारी एक वत्तिय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में रेमटिस कर सकता है और इसमें लागू सभी चालू और कैपिटल अकाउंट के लेन-देन के लिए उसके रेमटिस शामिल होंगे।

अन्यथा लागू वनिमिय नयिंत्रण कानूनों और वनियिमों के अनुसार और अधीन है। आपके नयिक्ता को एलआरएस के तहत आपके अन्य रेमटिस के बारे में पता नहीं हो सकता है; इसलिए, आप यह सुनशिचति करने के लिए पूरी तरह से जमिमेदार हैं कि आपका सबसक्रिप्शन 250,000 अमरीकी डालर की सीमा के भीतर है। आप वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम, 1999 और उसके तहत जारी किए गए नयिमों और वनियिमों के कसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जमिमेदार होने के लिए सहमत हैं। अगर बाद में, यह पाया जाता है कि इस तरह के रेमटिस से नरिधारत सीमा का उल्लंघन हुआ है, अर्थात्, प्रतवितीय वर्ष 250,000 अमरीकी डालर (या अन्यथा), आप अतरिक्त धन को भारत वापस लाने के लिए जमिमेदार होंगे और सुओ मॉटो कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करेंगे।

आपका सधानीय नयिक्ता लागू कानूनों और वनियिमों के अनुसार myAL myShare 2025 के तहत वदिशी मुद्रा से संबंधित सभी मामलों को संभालेगा। myAL myShare 2025 में भाग लेने के लिए, आपने अपने नयिक्ता को एक प्रासंगिक आवेदन करने के लिए अधिकृत किया है या इसे myAL myShare 2025 के कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से उपयुक्त प्राधिकारी के साथ फाइल किया है। इसके अतरिक्त, आपको myAL myShare 2025 के संबंध में कानूनों, वनियिमों या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कर्सी भी दस्तावेज को पूरा करने या जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

की शरतों के अधीन myAL myShare 2025, आप के तहत अधिग्रहीत L'Air Liquide शेयरों को ट्रांसफर कर / बेच सकते हैं myAL myShare 2025 बशर्ते उसकी आय प्राप्त होने पर तुरंत प्रत्यावरति की जाए और कर्सी भी स्थिति में, बक्री की तारीख से 180 दिनों के बाद नहीं।

जब आप अपने नविश को भुगतान हैं, तो आपका नयिक्ता संबंधित सरकारी अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) के साथ दावा दायर करेगा और बैंकों द्वारा अनुरोधित सभी प्रकरणों का पालन करेगा, जिसके परणामसवूप आपकी आय के भुगतान में देरी हो सकती है। चूंकि myAL myShare 2025 से आपका कैपिटल गेन भारतीय रुपये और यूरो के बीच वदिशी वनिमिय दर से प्रभावित हो सकता है, इसलिए भारतीय रुपये में आपकी आय इस तरह के भुगतान में देरी के परणामसवूप वदिशी वनिमिय दर में उत्तर-चढ़ाव से भौतिक रूप से प्रभावित हो सकती है।

कृपया स्रोत पर एकत्रति टैक्स की प्रयोज्यता के लिए भारत टैक्स नोट देखें («टीसीएस»)। यदि एलआरएस के तहत आपके अंतर्राष्ट्रीय/वदिशी सधानान्तरण (myAL myShare 2025 सहति) रुपये से अधिक हैं, तो टीसीएस लागू होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000,000।

प्रतभूतिनोटसि

यह दस्तावेज़ और प्रस्ताव केवल L'Air Liquide समूह के कर्मचारियों को संबोधित किया जाता है जो myAL myShare 2025 में भाग लेने के लिए पात्र हैं। कोई भी भारतीय प्रतभूतिकानून या अन्य फाइलगी या रोपीरटगी आवश्यकताएँ इस myAL myShare 2025 पर लागू नहीं होती हैं।

लॉक-अप अवधि और जल्दी बाहर नकिलने की घटनाएँ

के तहत दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए myAL myShare 2025, सबस्क्राइब्ड L'Air Liquide शेयर पाँच साल (5) लॉक-अप अवधि के अधीन हैं, जो 9 दसिंबर, 2030 को समाप्त हो रहा है, जो वर्तमान में फ्रांसीसी कानून के तहत मलि शुरुआती नकिस के लिए कुछ अपवादों के अधीन है। इसके अपवाद हैं:

1. कर्मचारी का विवाह,
2. बच्चे या बच्चे का जन्म गोद लिया जाता है, बशर्ते कर्मचारी का घर पहले से ही कम से कम दो बच्चों के लिए आर्थिक रूप से जमिमेदार हो,
3. तलाक या अलगाव की अन्य न्यायिक मान्यता, यदि संबंधित कर्मचारी के साथ कम से कम एक बच्चे की कस्टडी बरकरार रखी जाती है,
4. फ्रांसीसी कानून के तहत प्रभावित कर्मचारी या पत्नी या बच्चे की विकलांगता,
5. कर्मचारी या जीवनसाथी की मृत्यु,
6. इस्तीफे, बरखास्तगी या सेवानवृत्तिसहित कर्सी भी कारण से रोजगार की समाप्ति,
7. फ्रांसीसी कानून के तहत प्रदान किए गए कर्मचारी के बच्चों या एक विशिष्ट व्यावसायिक उद्यम के पत्थिया पत्नी द्वारा निर्माण,
8. मुख्य नविस की खरीद या वसितार,
9. पत्थिया पूरव पतदिवार कर्मचारी के खलिफ की गई घरेलू हसिया।

उपरोक्त फ्रांसीसी कानून के तहत अनुमत वर्तमान प्रारंभिक नकिस घटनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। हालाँकि, यह तब मदद करेगा जब आपने यह नष्टिकरण नहीं नकिला है कि एक प्रारंभिक नकिस उपलब्ध है और जब तक कि आपने नयिक्ता को अपनी विशिष्ट परस्थिति का वरण नहीं किया है और आपके नयिक्ता ने पुष्टिकी है कि यह आपके अपेक्षित सहायक दस्तावेज प्रदान करने पर लागू होता है।

आपको अपने पत्थिया पत्नी की मृत्यु, विकलांगता, रोजगार अनुबंध की समाप्तिया घरेलू हसिया (जिस स्थिति में अनुरोध कर्सी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है) को छोड़कर, इस तरह की घटना के बाद छह (6) महीनों के भीतर रडीम करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। आपके प्रतनिधियों को आपकी मृत्यु के बाद रडीम करने का अनुरोध करना चाहिए।

प्रारंभिक रूप से रडीम किए जाने के लिए एक एकल (बैंक ट्रांसफर) भुगतान किया जाएगा, जो सभी या कुछ शेयरों पर लागू होगा जिन्हें अनुरोध के अनुसार भुगतान की जाएगी।

अगर आप एक प्रारंभिक नकिस अनुरोध प्रस्तुत करते हैं, तो शेयरधारक सेवा विभाग आपके नयिक्ता द्वारा इसे मान्य करने के बाद आपके अनुरोध को नष्टिपादित करेगा और आपके नविश का मूल्य आपको या आपके नयिक्ता को ट्रांसफर करेगा। अगर आपके नयिक्ता को भुगतान किया जाता है, तो आपका नयिक्ता आवश्यक होने पर कर्सी भी टैक्स या सामाजिक शुल्क में कटौती के बाद आपको बकाया रकम हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त होगा। उपरोक्त के अधीन रहते हुए, पाँच साल (5) लॉक-अप अवधि के अंत में, आप या तो शेयरों को रखने या उन्हें कर्सी भी समय बेचने का नियन्य ले सकते हैं।

L'Air Liquide शेयरों की बक्री

आपका नविश लॉक-अप अवधि की समाप्ति पर या पहले बाहर नकिलने की स्थिति में उपलब्ध हो जाएगा। लॉक-अप अवधि समाप्त होने से पहले, आपको अपनी नविश उपलब्धित की जानकारी दी जाएगी और आप कर्सी भी समय अपना नविश बेच सकते हैं।

शेयर से जल्दी बाहर नकिलने की स्थिति में, आपको अपने नयिक्ता को L'Air Liquide शेयर बेचने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित करना चाहिए। इसके अलावा, आपको जल्दी नकिस घटना की घटना के लिए उचित कारण देना आवश्यक है। अगर आप अपना नविश बेचते हैं, तो आपको बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त होगा। उपरोक्त के अधीन रहते हुए, पाँच साल (5) लॉक-अप अवधि के अंत में, आप या तो शेयरों को रखने या उन्हें कर्सी भी समय बेचने का नियन्य ले सकते हैं।

श्रम कानून अस्वीकरण

कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 आपको फ्रांसीसी कंपनी, L'Air Liquide S.A. द्वारा प्रदान किया गया है, न कि आपके सधानीय नयिक्ता द्वारा। myAL myShare 2025 पेशकश आपके रोजगार समझौते का हसिसा नहीं है और इसमें संशोधन या सप्लाइमेंट नहीं है। इसके अलावा, आपकी भागीदारी आपको भविष्य के लाभों या समान प्रकृतिया मूल्य के भुगतान का हकदार नहीं बनाती है। यह आपको भविष्य में इसी तरह की ऑफरिंग में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं देता है। लाभ जो आपको प्राप्त हो सकते हैं या नमिन के लिए पात्र हो सकते हैं myAL myShare 2025 को भविष्य के लाभों, भुगतानों या अन्य एंटाइटेलमेंट, यदि कोई हो, को नरिधारत करने में विचार नहीं किया जाएगा, जो आपके कारण हो सकता है (रोजगार समाप्तिमालों सहति)।

रद्दीकरण

L'Air Liquide S.A., अपने विक्री से, myAL myShare 2025 को रद्द करने का विकल्प चुन सकता है। यह फैसला सबस्क्रिप्शन मूल्य निधारित होने, यानी 29 अक्टूबर, 2025 से पहले कसी भी समय लिया जा सकता है।

सभी प्रतभागियों द्वारा रपिरेटेशन, वारंटी और समझौते

myAL myShare 2025 के तहत L'Air Liquide शेयर खरीदने के लिए सहमत होने पर, आप इन चीजों का प्रतनिधित्व करते हैं, वारंट करते हैं और नमिनलिखित से सहमत होते हैं:

- (i) आपने समरप्ति वेबसाइट पर उपलब्ध सबस्क्रिप्शन दस्तावेजों को पढ़ा और समझा है myalmyshare2025.airliquide.com, वशेष रूप से myAL myShare 2025 के नियमों और शर्तों को। इसलिए, आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और myAL myShare 2025 के नियमों और शर्तों से सहमत हैं और उनके द्वारा बाध्य हैं जैसे कि आपने उन पर हस्ताक्षर किया था।
- (ii) आप एक प्रतभागी Air Liquide ग्रुप कंपनी के करमचारी हैं और myAL myShare 2025 में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- (iii) आपको आपके द्वारा खरीदे गए L'Air Liquide शेयर के प्रतसिबस्क्रिप्शन मूल्य के बारे में सूचित किया गया है।
- (iv) आप समझते हैं कि आपका नविश मूल्य L'Air Liquide के शेयर मूल्य बदल सकता है। इसलिए, आप myAL myShare 2025 नविश करेंगे गए अपने योगदान को जोखिम में डालते हैं और अपने नविश में विविधता लाने के महत्व को समझते हैं। न तो L'Air Liquide और न ही आपका नियोक्ता और न ही उनकी कोई संबंधित सहायक, नदिशक, अधिकारी या करमचारी myAL myShare 2025 से जुड़ी कोई वित्तीय, नविश, टैक्स या अन्य सलाह देते हैं।
- (v) L'Air Liquide S.A. की जानकारी इसके सबसे हालिया यूनिवर्सल रजिस्टरेशन डॉक्युमेंट और <https://www.airliquide.com/investors> पर अन्य वित्तीय रपिरेटों में मालिस करती है। इन दस्तावेजों में L'Air Liquide S.A. की गतविधियों और रणनीति, इसके वित्तीय परिणाम, इसके व्यवसाय में नहिति जोखिम और इसके शेरयों में नविश के अवसर के बारे में महत्वपूरा जानकारी है। नविश करने से पहले आपको इस दस्तावेज की समीक्षा करनी चाहिए myAL myShare 2025।
- (vi) हालाँकि इस देश के सप्लाइंट के हसिसे के रूप में एक सामान्य टैक्स सारांश प्रदान किया जाता है, न तो L'Air Liquide S.A. और न ही आपका नियोक्ता कोई टैक्स सलाह देता है। इसलिए, आपको भाग लेने के टैक्स नियमों पर मार्गदरशन के लिए अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। myAL myShare 2025। इसके अलावा, न तो L'Air Liquide और न ही आपका नियोक्ता myAL myShare 2025 से संबंधित नविश सलाह दे रहा है, न ही यह myAL myShare 2025 में आपकी भागीदारी के परिणामस्वरूप कसी भी टैक्स दायतिवों के लिए उत्तरदायी है।
- (vii) यद्युकुल सबस्क्रिप्शन अनुरोध के तहत myAL myShare 2025 पेशकश करेंगे गए शेरयों की संख्या से अधिक है, आप समझते हैं कि L'Air Liquide S.A. आपके विक्री पर आपको आवंटित शेरयों की संख्या को कम कर सकता है।
- (viii) आपका नविश 5 साल की लॉक-अप अवधि(9 दिसंबर, 2030 को समाप्त) के अधीन है जब तक कि आप ऊपर बताए गए शुरुआती नकिस कार्यक्रमों में से एक के लिए पातर नहीं हो जाते। प्रारंभिक नकिस घटनाओं की व्याख्या की जानी चाहिए और फ्रांसीसी कानून के साथ लगातार लागू की जानी चाहिए। इसलिए, इन शुरुआती नकिस की घटनाओं में से कसी पर भरोसा करने या भरोसा करने का प्रयास करने से पहले, आप समझते हैं कि आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने नियोक्ता से परामर्श करना चाहिए कि आपका मामला सभी फ्रांसीसी कानून आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- (ix) myAL myShare 2025 में भागीदारी और आपके रोजगार समझौते से से अलग है और उसका हसिसा नहीं है। यह आपको अपने रोजगार के संबंध में कोई अधिकार या अधिकार प्रदान नहीं करता है। myAL myShare 2025 में भागीदारी L'Air Liquide शेरयों या लाभों के भविष्य के प्रस्तावों के संबंध में या उसके संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- (x) L'Air Liquide S.A. या आपका नियोक्ता कसी भी कारब्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या इसके संबंध में किए जाने के लिए छोड़ा जाएगा myAL myShare 2025 अपने जानबूझकर कदाचार को छोड़कर या कानून द्वारा संपष्ट रूप से प्रदान किया गया है।
- (xi) आप समझते हैं कि आपके व्यक्तिगत डेटा को myAL myShare 2025 में आपकी भागीदारी के संबंध में प्रोसेस, ट्रांसफर और संग्रहीत किया जाएगा। इस तरह के डेटा प्रोसेसिंग की शर्तों और आपके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: myalmyshare2025.airliquide.com.
- (xii) myAL myShare 2025 फ्रांस गणराज्य के कानूनों के अधीन है और ऐसे कानूनों का पालन करते हुए व्याख्या की जानी चाहिए। इन कानूनों को लागू करने के लिए चुना गया है क्योंकि L'Air Liquide S.A. फ्रांस के कानूनों के तहत बनी एक कंपनी है। myAL myShare 2025 से संबंधित व्याख्या, वैधता, या आवेदन के संबंध में कसी भी विवाद की स्थितियाँ, संबंधित पक्ष एक सौहारदापूरा समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। हालाँकि, अगर ऐसा कोई समाधान नहीं मिल सकता है, तो विवाद की सुनवाई फ्रांस की एक सक्रिय अदालत द्वारा की जाएगी।
- (xiii) यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतबिंधों के चलते, रूस या बेलारूस के नागरकि या नविसी जनिके पास यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के कसी देश के सदस्य या स्विट्जरलैंड की नागरकिता या कानूनी नविस नहीं है, वे myAL myShare 2025 में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए, मैं घोषणा करता हूँ:
 - मैं रूसी नागरकि या रूस का नविसी नहीं हूँ या अगर मैं हूँ तो मैं यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य का, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के स्विट्जरलैंड के कसी देश का सदस्य नागरकि भी हूँ या मेरे पास इनमें से कसी एक सदस्य राज्य में अस्थायी या स्थायी नविस की अनुमति है; तथा
 - मैं बेलारूसी राष्ट्रीय या बेलारूस का नविसी नहीं हूँ अगर मैं हूँ तो मैं यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य का नागरकि भी हूँ या इनमें से कसी एक सदस्य राज्य में अस्थायी या स्थायी नविस की अनुमति है।
- (xiv) अगर आपके पास इस प्रस्ताव के बारे में कोई प्रश्न है, तो आपको अपने स्थानीय योजना अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। इनका विवरण <https://myalmyshare2025.airliquide.com> पर दिखाई देता है।

भारत में नविसी, आमतौर पर नविसी और अधिविसति क्रमचारियों के लाए टैक्स सारांश

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य 2025 Air Liquide Group क्रमचारी शेयर पेशकश («myAL myShare 2025») में आपकी भागीदारी से उत्पन्न आयकर और सामाजिक शुल्कों के परणिमाओं के बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब देना है।

नमिनलखिति टैक्स सारांश उन आम सदिधारितों को नरिधारति करता है जो इन क्रमचारियों पर लागू होने चाहें: (1) भारतीय टैक्स कानूनों तहत आते हैं तथा भारत के नविसी, सामान्य रूप से नविसी और अधिविसति हैं और 29 सर्तिबर, 1992 को दोहरे कराधान से बचने के लाए फ्रांस और भारत के बीच हुई «संधि» के लाभों के हकदार हैं (2) जो संधिके लाभों के हकदार हैं, लेकनि सभी वशिष्ट मामलों में के तहत नहीं आते हैं। यह सारांश केवल सूचना के उद्देश्यों के लाए दिया गया है और इसे पूरा या नरिणायक के रूप में नहीं माना जाना चाहें।

कृपया ध्यान दें कि यह सधानीय सपलमिट 1 अप्रैल, 2025 को लागू टैक्स कानूनों पर आधारति है। चूंकटैक्स कानून, नियम और संधि समय के साथ बदल सकते हैं, इसलाए यह आपकी टैक्स स्थितिको प्रभावति कर सकता है। इसलाए, आपको उचिति समय पर वशिष्ट टैक्स सलाह लेनी चाहें।

कृपया ध्यान दें कि निम्नों तो L'Air Liquide S.A. और न ही आपका नियोक्ता आपको myAL myShare 2025 से संबंधति कोई व्यक्ततगि मारगदरशन या टैक्स सलाह दे सकता है। क्रमचारियों को myAL myShare 2025 में L'Air Liquide शेयरों को प्राप्त करने के टैक्स परणिमाओं के बारे में अपने टैक्स सलाहकारों से परामरश करना चाहें। यह सारांश केवल सूचना के उद्देश्यों के लाए दिया गया है और इसे पूरा या नरिणायक के रूप में नहीं माना जाना चाहें। आपकी रोजगार कंपनी, सटीकता की जमिमेदारी नहीं लेती है।

आपको यह टैक्स नोट अन्य वतिरति सामग्रियों के साथ पढ़ना चाहें। अन्य सामग्रियाँ आपको सीधे या समरपति वेबसाइट myalmyshare2025.airliquide.com पर उपलब्ध कराई गई हैं। कृपया ध्यान दें कि निम्नों दिए गए नए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रति कर) परावधान उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्होंने वतित वरष 2025-26 के दौरान भारत से रु 1,000,000 से ज्यादा रेमटिस बाहर भेजा है।

सब्सक्रप्शन लेने पर

क्या मुझे L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रप्शन के समय कसी भी टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा?

A. फ्रांस में टैक्सेशन

आप L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रप्शन पर फ्रांस में टैक्सेशन के अधीन नहीं होंगे।

B. भारत में टैक्सेशन

क्या सब्सक्रप्शन के समय कोई टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है? इसके अलावा, क्या टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क पर कोई छूट मिलेगी?

सब्सक्रप्शन के समय शेयर के मूल्य पर उपलब्ध छूट आपके ऊपर लागू टैक्स पर आधारति होगी। इसलाए, वतितीय वरष 2025-2026 के लाए, आवंटन के समय, आप उचिति बाजार मूल्य (जो एक शरेणी मैं मर्चेंट बैकर द्वारा नरिधारति किया जाएगा) और भुगतान की गई सब्सक्रप्शन मूल्य के बीच अंतर पर टैक्स का भुगतान करने के लाए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार, इस तरह की राशि को के रूप में माना जाएगा: «रयियत» आयकर अधनियम, 17 की धारा 2(1961) के तहत आपके ऊपर लागू और टैक्स योग्य।

रयियत की गणना इन दोनों के अंतर के बीच की जाती है:

(i) L'Air Liquide शेयरों का» उचिति बाजार मूल्य «(जैसा कि भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड के साथ पंजीकृत «शरेणी मैं मर्चेंट बैकर» द्वारा नरिधारति किया गया है), और

(ii) आपके द्वारा भुगतान की गई सब्सक्रप्शन राशि

उचिति बाजार मूल्य का नरिधारण करते समय («एफएमवी»), मर्चेंट बैकर Euronext Paris स्टॉक एक्सचेंज पर L'Air Liquide शेयरों की सूचीबद्ध कीमत पर नरिधिष्ट तथि (यानी, सब्सक्रप्शन की तारीख या सब्सक्रप्शन की तारीख से 180 दिनों के भीतर कसी भी तारीख) पर वचार करेगा। आपका नियोक्ता इस तरह के शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र की खरीद करेगा।

चूंकि L'Air Liquide शेयरों की 20% छूट पर पेश किया जाता है, इसलाए L'Air Liquide शेयरों के एफएमवी पर प्रस्तावित छूट को आयकर अधनियम, 17 की धारा 1961 के तहत एक रयियत माना जाएगा और परणिमस्वरूप, आपकी आय का हसिसा होगा और आपके «वेतन» तहत आय के रूप में टैक्स लगाने के लाए उत्तरदायी होगा। तदनुसार, आवंटन के समय टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की दर आपकी कुल आय पर नरिभर करेगी और आपके लाए लागू स्लैब के मुताबकि टैक्स लगाया जाएगा (लागू टैक्स दरों के लाए, कृपया «रीडीम करने पर» सेक्षन के तहत तालिका देखें)।

चतिरण:

1 L'Air Liquide शेयर का उचिति बाजार मूल्य	₹ 100
आपके द्वारा भुगतान किया गया सब्सक्रप्शन मूल्य (20% छूट के बाद)	₹ 80
छूट	₹ 20
रुपये की छूट। 20 को «रयियत» (Perquisite) आय के रूप में माना जाएगा और आपके टैक्स योग्य वेतन में जोड़ा जाएगा।	

आपका नयोक्ता खरीद पर कसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आपका नयोक्ता, लागू सलैब दरों (और लागू टैक्स व्यवस्था) के अनुसार टैक्स रोक लेगा और टैक्स अधिकारियों को भेज देगा। इसके अलावा, आपका नयोक्ता स्रोत पर एकत्र करेंगे और टैक्स अधिकारियों को जमा कर सकता है⁴, जहाँ भी लागू हो।

कृपया ध्यान दें कि एलआरएस पर टीसीएस हाल ही में शुरू की गई एक आवश्यकता है और रुपये से अधिक एलआरएस के तहत सभी बाहर भेजे जाने वाले रेमटिस पर लागू होती है। 1,000,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्षीय वर्ष। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, लागू टीसीएस दर इससे अधिक प्रेरणा राशि का 20% है 1,000,000। यदि एफवाई में एलआरएस के तहत आपका कुल रेमटिस। 2025-26 (myAL myShare 2025 के तहत रेमटिस के साथ) इससे अधिक नहीं होती है। 1,000,000, आप टीसीएस के अधीन नहीं होंगे। हालांकि, यदि आपका रेमटिस इससे अधिक हो: 1,000,000 और टीसीएस लागू होता है, तो टीसीएस आपके नयोक्ता द्वारा आपके जनवरी 2026 पेरोल (एक कसित में) से एकत्र/रकिवर करिया जाएगा और टैक्स अधिकारियों (अधिकृत डीलर/बैंकर (वजिजापन) के माध्यम से के पास जमा करिया जाएगा)। आपके फॉर्म 26 एस में क्रेडिट के रूप में दर्खिएँ देगा। एकत्रित टीसीएस को वर्ष के अंत में देय होने वाली आपकी वास्तविक टैक्स देयता के विरुद्ध एडजस्ट करिया जा सकता है। यदि आपके पास ऐसी कोई टैक्स देयता नहीं है, तो आप वर्ष के अंत में रफिंड का दावा कर सकते हैं। कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें। नयोक्ता इन टैक्स का भुगतान नहीं करेगा।

शेयरों का सबसक्रप्शन लेते समय, आपके पास कोई सामाजिक टैक्स जवाबदेही नहीं होगा।

यदि आप myAL myShare 2025 में भाग लेते हैं, तो आपको वित्त वर्ष 2025-26 (सबसक्रप्शन/घोषणा की तारीख तक) के दौरान करेंगे और अपने रेमटिस के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। अगर आप घोषणा उपलब्ध कराने में वफ़िल रहते हैं, तो (लागू मामलों में) टीसीएस (एडी) बैंकरों की सलाह के अनुसार एकत्र करिया जाएगा और आपको घोषणा की सामग्री को बना शर्त स्वीकार करने के लिए माना जाएगा। टीसीएस के दायरे, अनुप्रयोग और रकिवरी पर अतिरिक्त वनियामक मार्गदर्शन इसके लागू करेंगे जाने को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

नयोक्ता की तरफ़:

ऊपर बताए गए टैक्स को रोकने के अलावा कसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए नयोक्ता पर कोई अलग दायतिव नहीं होगा।

इसके अलावा, वर्तमान में, कोई सामाजिक सुरक्षा टैक्स या अन्य शुल्क देय नहीं है।

क्या ब्याज मुक्त भुगतान टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क के अधीन होगा?

आयकर अधिनियम, 17 की धारा 2(1961)(छह) के तहत, आयकर नियम, 3 के नियम 1962 के साथ पढ़ा जाता है, इस छूट में कसी भी लाभ या सुवधा का मूल्य शामल है या मुक्त में या रयियती दर पर प्रदान करिया जाता है। आयकर नियम, 3 के नियम 7(1962)(आई) के प्रावधानों के अनुसार, रयियती दर पर दिया गया ऋण, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में योग्य है। इसलिए, नयोक्ता द्वारा आपको दिया गया लाभ, रयियत या सुवधा (अगर आप ऐसा चुनते हैं) रयियत का रूप ले लेगी और आपके लिए टैक्स की उत्तरदायी होगी।

रयियत का मूल्यांकन (ब्याज मुक्त ऋण के रूप में)

चूंकि नयोक्ता द्वारा की जाने वाली फाइनेंसिंग ब्याज मुक्त होगी, इसलिए भारतीय टैक्स कानून के अनुसार ऋण राशिपर एक अनुमानित ब्याज दर का प्रभार अपेक्षित है, जिसे आपको दी गई एक रयियत माना जाएगा और यह टैक्स के अधीन होगा। रयियत मूल्य की गणना, अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर की जाएगी। हालांकि, अगर ऋण इस राशि से कम है तो कोई भी अपेक्षित मूल्य नहीं लिया जाएगा - रु. कुल 20,000।

आयकर नियम, 3 के नियम 7(1962)(आई) के अनुसार, इससे ऊपर के ब्याज मुक्त या रयियती ऋण के परिणामस्वरूप करमचारी को लाभ का मूल्य रु.: 20,000 नयोक्ता द्वारा कसी भी उद्देश्य के लिए एडवांस भुगतान की राशि, उसी उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पछिले वर्ष के पहले दिन प्रति वर्ष ली जाने वाले ब्याज के बराबर राशि के रूप में नरिधारित की जाएगी। अधिकतम बकाया मासिक शेष पर ब्याज से कम, यदि कोई हो, वास्तव में ऊपर दी गई राशि के लिए उसके द्वारा भुगतान इससे ज्यादा हो: रु. 20,000।

इस तरह के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चार्ज की जाने वाली दर 14.10%⁶ प्रति वर्ष है (जो समय-समय पर परविरत्न के अधीन है)। चूंकि किरमचारी के पक्ष में रयियत का मूल्य, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और नयोक्ता द्वारा दी जाने वाली दर के बीच का अंतर होगा (वर्तमान मामले में शून्य, क्योंकि नयोक्ता ब्याज नहीं लेगा), रयियत का मूल्य 14.1 होगा, जो अधिकतम बकाया मासिक शेष राशि पर 0% है। चूंकि ब्याज, मुक्त/रयियती ऋण के कारण बने अनुत्पादक मूल्य पर टैक्स की जिमिमेदारी आपकी होगी, नयोक्ता उचित दर पर उस पर टैक्स रोक लेगा।

अगर आप नयोक्ता से फाइनेंसिंग लेते हैं, तो आपके ऊपर कोई सामाजिक सुरक्षा टैक्स बकाया नहीं होगा।

चित्रण:

- समीर ने इतने रुपये का ऋण लिया। यह ऋण 18,000 जनवरी को अपने नयोक्ता से 1, 2026, L'Air Liquide शेयरों की सबसक्रप्शन लेने के लिए लिया गया था। इसलिए, कोई भी राशि टैक्स योग्य नहीं है क्योंकि 20,000 ऋण राशि रुपये से कम है। बशरते यह ऋण (या अन्य बकाया ब्याज मुक्त ऋण) कुल मिलाकर, रु 20,000 से ज्यादा नहीं है।
- समीर ने 1 जनवरी 2026, को L'Air Liquide शेयरों की सबसक्रप्शन लेने के लिए। अपने नयोक्ता से 100,000 रुपये का ऋण लिया। ऋण 12 महीने की अवधि में मासिक पेरोल कटौती के माध्यम से चुकाने योग्य है। रयियत पर टैक्स से छूट के रूप में ऋण राशि रुपये से अधिक नहीं है। 20,000।

रयियत की गणना: वर्ष 2025-26 के लिए रयियत मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है:

1 जनवरी, 2026 को एक करमचारी ने एक ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण लिया। इसे 100,000, बारह कसितों में वापस पाया गया। पेरोल कटौती के माध्यम से पुनरभुगतान, प्रतियेक महीने के अंतमि दिन होता है, जिसमें पहली ऋण कसित 31 जनवरी, 2026 को देय होती है। 1 अप्रैल, 2025 तक एसबीआई की ब्याज दर 14.10% प्रति वर्ष मानी जाती है।

³ एलआरएस योजना के तहत, कोई नवीनी एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत वर्ष (1st अप्रैल से 31st मार्च) के बीच आरबीआई से प्रति अनुमति के बना भारत के बाहर 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की धनराशि भेज सकता है। यह योजना केवल व्यक्तिगतों के लिए उपलब्ध है।

⁴ 1 अप्रैल, 2025 से, एलआरएस के तहत बाहर जाने वाले विदेशी रेमटिस के लिए स्रोत पर टैक्स संग्रह (टीसीएस) 20% है। इसकी उपर में अधिकतम सीमा है: 1,000,000। नयोक्ता को कार्यान्वयन और वसूली तंत्र पर बैंक से मार्गदर्शन लेना चाहाए।

⁵ आयकर अधिनियम के अंतराल, वर्तन आय पर टीडीएस की कटौती से संबंधित प्रावधानों में अब संशोधन करिया गया है, ताकि करमचारियों को उनकी वेतन आय से कटौती की जाने वाले टैक्स की गणना करते समय उपलब्ध टीसीएस या टीसीएस करेंटों की भी इसमें शामिल करिया जा सके।

⁶ प्रोविन्जनल रेट। ब्याज दर समय-समय पर बदलती है। नयोक्ता द्वारा दोबारा पुष्टी की जाएगी।

करमचारी को ब्याज मुक्त / रयियती ऋण-रयियत का मूल्यांकन - वतितीय वर्ष 2025-26

एसबीआई ब्याज के रूप में 01-04-2025		14.10% ⁷
नयिकता दवारा लयि गया वास्तवकि ब्याज (₹)		0
पर बकाया ऋण 01-01-2026		100,000
मासकि पुनरभुगतान कसित		8,333
महीना	माह के अंतमि दनि बकाया अधकितम राशि	रयियत मूल्य ⁸ (एसबीआई की दर के अनुसार ब्याज)
जनवरी-26	91,667	1077
फ्रवरी-26	83,333	979
मार्च-26	75,000	881
अप्रैल-26	66,667	783
मई-26	58,333	685
जून-26	50,000	588
जुलाई-26	41,667	490
अगस्त-26	33,333	392
सतिम्बर-26	25,000	294
अक्टूबर-26	16,667	196
नवंबर-26	8,333	98
दसिंबर-26	0	0
कुल ब्याज / रयियत मूल्य		6463
कम: वापसी		0
रयियत का मूल्यांकन		6463

टैक्स उद्देश्यों के लए, 31 मार्च, 2026 तक, एफवाई के लए करमचारी की आय में 2025-26 में अतरिक्त मूल्य जोड़ा जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा। अप्रैल 2026 से दसिंबर 2026 तक, करमचारी पर संबंधित वतितीय वर्ष में टैक्स लगाया जाएगा।

myAL myShare 2025 के दौरान

क्या वतिरण की स्थिति में डिविडिंट पर कोई टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है?
हाँ।

फरांस में टैक्सेशन

L'Air Liquide S.A. दवारा आपको भुगतान कया गया डिविडिंट 12.8% के फ्रांसीसी वदिहोल्डगि टैक्स के अधीन होगा जब तक कएक गैर-सहकारी राज्य या क्षेत्र (एनसीएसटी)में खोले गए बैंक खाते में भुगतान नहीं कया जाता है, जो फ्रांस में 75% वदिहोल्डगि टैक्स को दरगिर करेगा।

भारत में टैक्सेशन

5 साल की लाँक-अप अवधिके दौरान आपके शेयरों पर भुगतान कए गए कसी भी डिविडिंट का भुगतान आपको कया जाएगा (फ्रेंच वदिहोल्डगि टैक्स और अन्य लेवी की कटौती के बाद)। हालांकि, यह भारत में भी टैक्स योग्य होगा, क्योंकि एक वदिशी कंपनी के डिविडिंट भारतीय टैक्स कानूनों के तहत टैक्स योग्य हैं। यह आय आपकी अन्य आय में जोड़ दी जाएगी, और डिविडिंट आय सहति कुल आय, «अन्य स्रोतों से आय» शीरणक के अंतरगत टैक्स योग्य होगी। डिविडिंट पर टैक्स का भुगतान करने की देयता आपके साथ नहित है, और आपका नयिकता टैक्स को रोकने या उसी का भुगतान करने के लए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप डिविडिंट पर टैक्स का भुगतान करने के लए उत्तरदायी हैं, और आपका नयिकता इसे रोकने या भुगतान करने के लए उत्तरदायी नहीं होगा। अपना आयकर रटिन (आईटीआर) दाखलि करते समय, आपको L'Air Liquide शेयरों से अर्जति डिविडिंट की रपोर्ट करनी होगी। उचति आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-2) का उपयोग करके टैक्स रटिन में मूल्य की परवाह कए बना, ऐसी रपिरटगि आवश्यक है। अधकि जानकारी के लए, कृपया अनुभाग देखें “रपिरटगि दायतिवो”।

L'Air Liquide S.A. से प्राप्त डिविडिंट भारत और फरांस दोनों में टैक्स के अधीन होगा। हालांकि, यदि L'Air Liquide S.A. दवारा घोषति डिविडिंट पर टैक्स फरांस में वदिहोल्डगि/कटौती की गई है, तो आप भारत-फ्रांस डीटीए संधिके तहत भारत में दोहरे टैक्स से राहत का दावा कर सकते हैं, जो भारतीय आयकर कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। दूसरे शब्दों में, डिविडिंट के दोहरे टैक्सेशन के मामले में, डिविडिंट आय पर फ्रांस में भुगतान कए गए टैक्स के संबंध में टैक्स करेडिट भारत-फ्रांस डीटीए संधिके तहत भारत में उपलब्ध होगा, और दोहरे टैक्सेशन से बचा जा सकता है। यानी आपको एक ही इनकम पर दोगुना टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, ऐसा टैक्स करेडिट भारत में डिविडिंट आय पर देय आयकर से अधकि नहीं हो सकता है।

अन्य आवश्यकताओं के अलावा, वदिशी टैक्स करेडिट का दावा करने के लए, आपको फॉर्म 67 में वदिशी आय और उस पर भुगतान कए गए टैक्स का विवरण परस्तुत करना होगा, जसि रटिन दाखलि करने की नियत तारीख की या उससे पहले आपके आयकर रटिन के साथ इलेक्ट्रॉनिकि रूप से दायर कया जाना चाहिए। अगर भारत में कोई टैक्स देय नहीं है, तो कसी वदिशी देश (फ्रांस) में भुगतान कए गए टैक्स के लए करेडिट या धनवापसी का दावा नहीं कया जा सकता है। अधकि वशिष्ट सलाह के लए, कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।

टैक्सेशन की दर। टैक्सेशन की दर डिविडिंट आय पर सहति आपकी कुल आय पर नरिभर करेगी, और आप पर प्रगतशील स्लैब-वार दरों (और लागू टैक्स व्यवस्था) पर 30% तक, साथ ही लागू सरचारज और स्वास्थ्य और शक्तिशास्त्र सेस पर टैक्स लगाया जाएगा। कृपया «रडीम करने पर» सेक्शन के तहत दरों के लए तालिका देखें। उदाहरण के लए, यदि आप 30% टैक्स स्लैब दर में आते हैं, तो इस तरह के डिविडिंट पर लागू सरचारज और स्वास्थ्य और शक्तिशास्त्र सेस के साथ 30% पर भी टैक्स लगाया जाएगा। चूंकि डिविडिंट € में घोषित कया जाता है, इसलए आपको डिविडिंट के मूल्य को € में बदलना होगा, इसके लए आपको इसकी राशि को € में एसबीआई ₹ खरीद दर का INR से गुणा करना होगा, जो कउिस महीने से पहले के महीने के अंतमि दनि की होगी जसिमें डिविडिंट घोषति, वतिरति या भुगतान कया गया था।

⁷ एसबीआई ब्याज दर (अनंतमि) 1 अप्रैल 2025 तक (व्यक्तिगत ऋण के लए)। दोबारा पुष्टीबैंक के साथ नयिकता दवारा की जाएगी। नयिकता को 1 अप्रैल 2026 वतित वर्ष 2026-27 के लए एसबीआई की ब्याज दर की भी पुष्टीकरनी चाहिए।

⁸ रयियत मूल्य = अधिकितम बकाया मासकि शेष (समाप्त शेष) \times 14.10% / 12

⁹ एनसीएसटी की सूची हर साल संशोधित की जा सकती है। एनसीएसटी के रूप में अरहता प्राप्त करने वाले राज्य और क्षेत्र वर्तमान में नमिनलखित हैं: एंगुला, एंटीगुआ और बारबुडा, तुरक और कैकोस द्वीप और वनुअतु।

क्या मुझे लॉक-अप अवधि के अंत में कसी भी टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, भले ही मैं L'Air Liquide शेयर न बेचूँ?

यदि आप L'Air Liquide शेयरों में निवेशित रहते हैं तो 5 साल की लॉक-अप अवधि के अंत में आपके या आपके नियोक्ता के लाए कोई टैक्स नहीं बनता है।

रडीम करने पर

क्या आपके L'Air Liquide शेयरों को रडीम करने या बेचने पर कोई टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है?

(1) फ्रांस में टैक्सेशन

आप अपने शेयरों की बकिरी पर प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, पर फ्रांस में आयकर के अधीन नहीं होंगे।

(2) भारत में टैक्सेशन

भारत में, आप अपने शेयरों के रडिंप्शन/बकिरी पर प्राप्त लाभ या लाभ पर कैपटिल गेन टैक्स के अधीन हैं। आयकर के अलावा, कोई सामाजिक सुरक्षा टैक्स या अन्य शुल्क देय नहीं हैं।

टैक्स की प्रकृति (जैसे, आय, कैपटिल गेन या टैक्स का दूसरा रूप)

शेयरों के रडिंप्शन/बकिरी पर आपको हुए कसी भी लाभ या हानिको कैपटिल गेन या लॉस के रूप में माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, कैपटिल गेन टैक्स केवल शेयरों के रडिंप्शन/बकिरी के समय के लाभ पर लागू होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, कैपटिल एसेट (यहाँ रडीम करने या शेयरों की बकिरी) को ट्रांसफर करने से होने वाले कसी भी लाभ या प्राप्तिपर "कैपटिल गेन" शीर्षक के तहत आयकर लगाया जाएगा। इसी तरह, आप शेयरों को बेचने और इस तरह के लाभ के कारण लागू टैक्स का भुगतान करने पर कसी भी कैपटिल गेन (या लॉस) की घोषणा करने के लाए जिम्मेदार होंगे। शेयरों के रडिंप्शन/बकिरी के समय आपके नियोक्ता के पास कोई विहीलडगि टैक्स दायतिव नहीं होगा।

टैक्स योग्य राशिकी गणना करने का तरीका क्या है?

कैपटिल गेन की गणना बकिरी प्रतिक्रिया के बीच के अंतर के रूप में की जाती है¹⁰ रडीम करने / बेचने और (एफएमवी) सबसक्रिप्शन के समय L'Air Liquide शेयरों के उचित बाजार मूल्य पर। इसी तरह, अगर खरीद के समय बकिरी मूल्य एफएमवी से कम है, तो यह कैपटिल लॉस की ओर जाता है। दूसरे शब्दों में, कैपटिल गेन टैक्स केवल तब लगाया जाएगा क्या जाएगा जब शेयरों को लाभ पर भुगता बेचा जाता है (वसूली गई वास्तविक राशि और सबसक्रिप्शन के वर्ष में फॉरम 12बीए में उल्लिखित रपियत की राशि)। इसलाए, सबसक्रिप्शन के समय, अधिगिरहण लागत के रूप में (20% छूट की परवाह के बिना) शेयरों के एफएमवी से कैपटिल गेन की गणना की जाएगी।

लॉन्ग ट्रम कैपटिल गेन के तहत आने वाली आय की गणना शेयरों के रडिंप्शन/बकिरी से मलिनी राशि के मूल्य, सबसक्रिप्शन पर शेयरों के एफएमवी और शेयरों के ट्रांसफर के लाए पूरा और वशीष रूप से कहि गए कसी भी व्यय से कटौती करके की जाएगी।

उदाहरण: अगर आप शेयरों के रडिंप्शन के समय भारत में टैक्स रेज़डिंग है, तो कैपटिल गेन की गणना नमिनलिखित तरीके से की जाएगी:

राशि	
शेयरों को रडीम करने / बकिरी से	X
अधिगिरहण की लागत के रूप में सबसक्रिप्शन पर शेयरों का एफएमवी ¹¹	Y
शेयरों के रडिंप्शन / बकिरी के संबंध में कथि गया व्यय	Y1
कैपटिल गेन (Z) =	X - (Y+Y1) ¹²

चूंकि L'Air Liquide शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलाए टैक्स उपचार भारत में गैर-सूचीबद्ध शेयरों के समान होगा। कैपटिल गेन की प्रकृति, यानी, लॉन्ग ट्रम या शॉर्ट ट्रम, शेयरों की होल्डिंग अवधि पर निभर करेगा। अगर शेयर एक खास अवधि के लाए रखे जाते हैं चौबीस (24) महीने से अधिक, तो कैपटिल गेन लॉन्ग ट्रम के रूप में माना जाएगा; नहीं तो, (जैसे, चौबीस (24) महीने से कम के लाए रखा जाए), तो शॉर्ट ट्रम कैपटिल के रूप में माना जाएगा। होल्डिंग अवधि की गणना आवंटन की तारीख से बकिरी की तारीख तक की जाती है।

चित्रण:

- समीर Air Liquide इंडिया के वेतनभोगी करमचारी हैं। जनवरी 2026 में, उन्होंने L'Air Liquide शेयरों का सबसक्रिप्शन लिया। समीर ने दिसंबर 2030 में लॉक-अप अवधि के अंत में सभी शेयरों को भुगता बेचा। चूंकि L'Air Liquide शेयरों की होल्डिंग की अवधि 24 महीने से अधिक है, इसलाए शेयरों को लॉन्ग ट्रम कैपटिल एसेट के रूप में माना जाएगा, और कैपटिल गेन, यदि कोई हो, तो अर्जति पर लॉन्गट्रम कैपटिल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।
- समीर Air Liquide इंडिया के वेतनभोगी करमचारी हैं। जनवरी 2026 में, उन्होंने L'Air Liquide शेयरों का सबसक्रिप्शन लिया। एक जलदी निकास मामले के कारण, समीर ने मई 2027 में शेयर बेच दिए, यानी 24 महीने से कम समय तक शेयर रखने के बाद। इसलाए, शेयरों को शॉर्ट ट्रम कैपटिल एसेट के रूप में माना जाएगा, और कसी भी कैपटिल गेन पर शॉर्ट ट्रम कैपटिल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।

लॉन्ग ट्रम और शॉर्ट ट्रम कैपटिल गेन अलग-अलग होता है। लॉन्ग ट्रम और शॉर्ट ट्रम कैपटिल गेन के लाए टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नीचे दी गई है।

टैक्सेशन की दर

- लॉन्ग ट्रम कैपटिल गेन: वर्तमान में लॉन्ग ट्रम कैपटिल गेन टैक्स की दर 12.5%¹³ है। साथ ही, लागू होने वाले सरचार्ज और स्वास्थ्य और शक्तिका सेस भी देय हैं।
- शॉर्ट ट्रम कैपटिल गेन: शॉर्ट ट्रम कैपटिल गेन करमचारी की आय में शामल होते हैं और नीचे दिए गए आयकर दर के स्लैब के अनुसार टैक्स लिया जाता है।

¹⁰ रडिंप्शन/बकिरी के महीने से पहले वाले महीने के अंतमि दिन तक यूरो (€) की एसबीआई TA की खरीद दर को रडीम/स्वचि करने पर बकिरी से मलिनी राशि को रुपये में बदलने के लाए विचार कथि जाना चाहए।

¹¹ सबसक्रिप्शन करते समय शेयरों की लागत अधिगिरहण की लागत माना जाएगा।

¹² शेयरों की बकिरी के कारण कसी भी लाभ या हानि की गणना के बारे में अतरिक्त जानकारी पाने और उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने के लाए आपको अपने व्यक्तिगत कर सलाहकार से परामर्श करना चाहए।

¹³ शेयरों के ट्रांसफर पर बनने वाले लॉन्ग ट्रम कैपटिल गेन पर जुलाई 23, 2024 से 12.50% टैक्स लगाया जाएगा। लॉन्ग ट्रम कैपटिल एसेट के ट्रांसफर पर कोई इंडेक्सेशन लाभ उपलब्ध नहीं है।

उदाहरण: अगर आप शेयरों के रडिंप्शन/बकिरी के समय भारत में टैक्स रेजिडिंट हैं, तो कैपिटल गेन की गणना नमिनलखिति तरीके से की जाएगी:

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:

ए. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

समीर ने जनवरी 2026 में L'Air Liquide के शेयरों का सबसक्रिप्शन लिया, जिसका उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) (यानी, उनके योगदान के माध्यम से सबसक्राइब करिए गए शेयरों का एफएमवी) 150,000 रुपए था। समीर ने दसिंबर 2030 में लॉक-अप अवधि के अंत में सभी शेयर 330,000 रुपये में बेच दिए। चूंकि ये एक गैर-सूचीबद्ध (भारतीय) कंपनी के शेयर हैं, इसलिए समीर को 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना:

- सभी शेयरों का खरीद मूल्य = ₹. 150,000
- शेयरों का बकिरी मूल्य = ₹. 330,000

समीर द्वारा अर्जित कैपिटल गेन ₹.180,000 होगा, नमिनलखिति गणना के अनुसार:

बकिरी मूल्य - (अधिग्रहण की लागत के रूप में सबसक्रिप्शन पर शेयरों का एफएमवी) = 330,000 - (150,000) = ₹.180,000।

इसलिए, 12.5% के हसिब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा ₹. 180,000 x 12.5/100 = Rs. 22,500, साथ ही लागू सरचारज, स्वास्थ्य और शक्षिका सेस।

बी. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स

समीर L'Air Liquide इंडिया के वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जनवरी 2026 में, उन्होंने L'Air Liquide शेयरों का सबसक्रिप्शन लिया। एक जलदी नकास मामले के कारण, समीर ने मई 2027 में शेयर बेच दिए, यानी 24 महीने से कम समय तक शेयर रखने के बाद। इसलिए, L'Air Liquide शेयरों को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रूप में माना जाएगा, और कसी भी कैपिटल गेन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।

इस मामले में, शेयरों की बकिरी से होने वाली आय को समीर की नियमित आय में जोड़ा जाएगा और लागू स्लैब दरों के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा, साथ ही सरचारज और स्वास्थ्य और शक्षिका सेस लिया जाएगा।

आयकर स्लैब दरे

1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार, कसी भी व्यक्तिद्वारा अर्जित आय पर आयकर लगाया जाता है। अगर कसी व्यक्तिकी आय, न्यूनतम सीमा (मूल छूट सीमा) से अधिक है, तो टैक्स का आकलन स्लैब के अनुसार किया जाता है।

आय 2026-27 के लिए आयकर स्लैब और दरे (वर्तित वर्ष 2025-26)

(60 वर्ष से कम के व्यक्ति)

वर्तितीय वर्ष 2020-21 से परभावी, सरकार ने टैक्स लेने की एक वैकल्पिक पदधारिति की घोषणा की, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को दो टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चुनने की अनुमतिमिलिती है: पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई, रणियती व्यवस्था। पुरानी टैक्स व्यवस्था में करदाताओं को मौजूदा टैक्स छूट जैसे मकान करिया भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता और आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कठोरी जारी रखने की अनुमतिथी¹⁴। जबकि, नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों को कम दरों पर टैक्स का भुगतान करना होगा, लेकिन उन्हें आयकर अधिनियम के तहत मलिने वाली अधिकांश टैक्स छूट और कठोरी को छोड़ना होगा¹⁵। पुरानी टैक्स व्यवस्था आयकर गणना और टैक्स स्लैब की उस परणाली पर आधारित है, जो 1 अप्रैल, 2020 से परभावी नई टैक्स व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। कानून के मुताबिक, नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है, जिसमें टैक्स भरने वाले के लिए पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प है। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि के साथ अधिक टैक्स स्लैब मिलते हैं। वर्तितीय वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था (60 वर्ष से कम आय के करदाता) बनाम नई टैक्स व्यवस्था स्लैब दरों की तुलना (एसेसमेंट वर्ष 2026-27) इस प्रकार है:

आयकर स्लैब	नई टैक्स व्यवस्था (रु.)	पुरानी टैक्स व्यवस्था
शून्य	0 - 400,000	0 - 250,000
5%	400,001 से 800,000	250,001 से 500,000
10%	800,001 से 1,200,000	
15%	1,200,001 से 1,600,000	
20%	1,600,001 से 2,000,000	500,001 से 1,000,000
25%	2,000,001 से 2,400,000	
30%	2,400,000 से ऊपर	1,000,000 से ऊपर

नोट्स:

- मूल छूट सीमा है रुपये: 250,000 (पुरानी व्यवस्था) / रु. नई व्यवस्था में 60 से नीचे के परतयेक व्यक्तिके लिए 400,000; नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब दरों को आयु वर्ग के आधार पर अलग-अलग नहीं किया जाता है। हालाँकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, वराषिठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष की आयु) और सुपर वराषिठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए टैक्स से मुक्त मूल आय सीमा रु. 300,000 और रु. करमश: 500,000.
- आयकर का 10% का सरचारज यदि कसी व्यक्तिकी कुल आय इससे अधिक है 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम।
- आयकर का 15% का सरचारज यदि कसी व्यक्तिकी कुल आय इससे अधिक है 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम।
- आयकर का 25% का सरचारज यदि कसी व्यक्तिकी कुल आय इससे अधिक है 2 करोड़
- स्वास्थ्य और शक्षिका सेस, आयकर और सरचारज का 4% है।
- धारा 111ए के अंतर्गत आने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडिंट की आय के लिए सरचारज दर 15% तक सीमित है।
- आय वाले व्यक्तियों के मामले में लागू सीमा और सरचारज तथा अधिकतम मार्जनिल टैक्स दर (एमएमआर) नमिनलखिति हैं:

¹⁴ वैकल्पिक पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स की दरें और स्लैब एफवाई अपरविश्वाति रहते हैं। 2025-26, इसी तरह वैकल्पिक पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब, दरें, सरचारज, सेस, छूट और मानक कठोरी में भी बदलाव नहीं होता। साथ ही, नई और पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं का सह-अस्ततिव बना हुआ है। दोनों के बीच चुनाव आपकी टैक्स कठोरी और छूट की वजह से आपकी टैक्स योग्य आय में आने वाले अंतर पर निर्भर करेगा। दो व्यवस्थाओं के बीच चुनने का विकल्प, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है। दोनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक मूलधारक और वाणिज्यिक करना और फ़िर अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुनाव करना चाहिए।

¹⁵ छूट कठोरी की सीधी जो की नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर, करदाता को छोड़नी पड़ सकती है। छूट की यात्रा भत्ता, मकान करिया भत्ता, वाहन, रोजगार के दौरान दैनिक खरच, पुनर्वास भत्ता, सहायक भत्ता, बाल शक्षिका भत्ता, अन्य विशेष भत्ता (धारा 10(14), मानक कठोरी, व्यावसायिक कर, आवास ऋण पर ब्याज (धारा 24), अध्याय छठी-ए कठोरी (धारा 80 सी, 80 डी, 80 ई और इसी तरह, धारा 80 सीसीटी(2) और 80 जेजे को छाड़कर)।

कुल आय	पुरानी टैक्स व्यवस्था	नई टैक्स व्यवस्था
		सरचारज की दर / MMR
इतने रुपये तक: 50 लाख	शून्य	शून्य
50 लाख से 1 करोड़ के बीच	10% / 34.32% (MMR)	10% / 34.32% (MMR)
1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच	15% / 35.88% (MMR)	15% / 35.88% (MMR)
2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच	25% / 39% (MMR)	25% / 39% (MMR)
5 करोड़ के ऊपर	37% / 42.74% (MMR)	25% / 39% (MMR)

नोट: नई टैक्स व्यवस्था के तहत, कसी व्यक्तिकी टैक्स देयता पर लगाया जाने वाला अधिकतम सरचारज 25% तक सीमित कर दिया गया है।

8. नई टैक्स व्यवस्था के तहत, मानक कटौती है: 75,000 रु. पुरानी टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलाएं, वेतनभोगी करदाता केवल इतने रुपये की मानक कटौती के लिए पात्र हैं पुरानी व्यवस्था के तहत 50,000।

9. नई टैक्स व्यवस्था को डिफिल्ट व्यक्तिगत टैक्स संरचना बनाया गया है। हालाँकि, करदाता अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था का वकिलप चुन सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है और पुरानी व्यवस्था के साथ सह-असततिव में रहेगी, जिसमें तीन टैक्स स्लैब और करदाताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न छूट और कटौती शामिल हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स देने का वकिलप चुनने वाले व्यक्तियों को कुछ छूट और कटौतियाँ छोड़नी पड़ती हैं। दूसरी ओर, पुरानी टैक्स व्यवस्था का वकिलप चुनने वाले लोग, वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी आय पर टैक्स का भुगतान करना जारी रखेंगे, जैसा कि उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में किया था।

10. 1 अप्रैल, 2025 से, अगर कसी नविसी व्यक्तिकी टैक्स योग्य आय 1,200,000 रुपये के बराबर या उससे कम है, तो नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत मली टैक्स राहत के कारण उसका देय टैक्स शून्य होगा। दूसरे शब्दों में, एक नविसी व्यक्ति (जैसीकी शूदृढ़ आय रु 1,200,000 से कम है) अधिनियम की धारा 87 ए के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। शक्तिसंभव की गणना करने से पहले आयकर से यही कटौती की जाएगी। प्रभावी रूप से, इसका मतलब यह होगा कि 1,200,000 रुपये तक की शूदृढ़ टैक्स योग्य आय वाले लोगों (वशिष्ठ आय को छोड़कर, जैसे कैपटिल गेन) को नई व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 1,200,000 रुपये तक की वार्षिक आय (75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 1,275,000 रुपये) पर कोई टैक्स स्लैब लागू नहीं होगा। इसलाएं, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत 1,275,000 रुपये तक की आय पर टैक्स देयता शून्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त टैक्स दरें बदल सकती हैं, क्योंकि वे उस नियमित वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा नियमित की जाती हैं जिसमें डिस्पोजल या रडिंप्शन होता है।

क्या आपके ऊपर सबसक्रप्शन, होल्डिंग, L'Air Liquide शेयरों के रडिम करें जाने और डिविडिंट की प्राप्ति से संबंधित रपिएटगि दायतिव है?

अगर आप आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नविसी और सामान्य रूप से नविसी हैं, तो उस स्थितिमें, आप भारत और फ्रांस के बीच संधि के तहत उपलब्ध लाभों, यदिकोई हो, के अधीन, भारत में अपनी वैश्वकि आय पर कराधान के अधीन होंगे। इसलाएं, आपको होल्डिंग अवधि (सबसक्रप्शन के वर्ष से शुरू, डिविडिंट की प्राप्ति यदिकोई हो) और आपके आयकर रटिरन में रडिम करें जाने के समय अर्जति कैपटिल गेन के दौरान L'Air Liquide S.A. में myAL myShare 2025 के तहत अपने निवेश का खुलासा करना होगा (फॉर्म आईटीआर-2) संबंधित वित्तीय वर्ष में।

आपके आयकर रटिरन («आईटीआर») में टैक्स रपिएटगि

कानून के अनुसार, आयकर रटिरन (आईटीआर) में विदेशी संपत्तिका खुलासा करना उन नविसी करदाताओं के लिए अनविवर्य है, जिनके पास पूरे लेखा वर्ष के दौरान कसी भी समय नियमित विदेशी संपत्ति है। इस प्रकार, अपना आयकर रटिरन (फॉर्म आईटीआर -2 में) दाखलि करते समय, आपको L'Air Liquide S.A. में आपके पास मौजूद शेयरों और उससे अर्जति विदेशी-स्रोत आय की रपिएट करनी होगी। उचित आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-2)¹⁶ का उपयोग करके टैक्स रटिरन में (मूल्य की परवाह करें बनि) ऐसी रपिएटगि आवश्यक है। इसके अलावा, L'Air Liquide शेयरों के मूल्य/लागत के अलावा, अर्जति आय (रुपये में) शेयरों से, आय की प्रकृति, और आय का प्रमुख जिसके तहत टैक्स को ऐसी आय की पेशकश की जा रही है, को सूचित किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि शेड्यूल एफ.ए. में आपको, आयोजित विदेशी परसिंपततयों (L'Air Liquide S.A. में शेयर) का विवरण प्रदान करना होगा। [भारत के बाहर कसी भी स्रोत से विदेशी संपत्ति और आय का विवरण आईटीआर फॉर्म और अनुसूची विदेशी स्रोत आय (एफएसआई) भरें, अनुसूची अल¹⁷ और आय की वापसी की अनुसूची टैक्स राहत (टीआर), जिसमें विदेशी देश में करदाता की पहचान संख्या (यदि लागू हो), अर्जति विदेशी आय का प्रकार, आय की राशि, उस पर भुगतान करें गए विदेशी टैक्स और ऐसी आय पर देय भारतीय टैक्स जैसे विवरणों का खुलासा करना आवश्यक है। लागू रपिएटगि दायतिवों का अनुपालन पक्का करने के लिए आपको अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

जब भारत में टैक्स उद्देशयों के लिए विदेशी निवेश और स्टॉक का खुलासा करने की बात आती है, तो कुछ विशिष्ट दर्शि-नियमित दर्शि का पालन करना चाहिए। इन निवेशों को «कोई अन्य धारति परसिंपतति» के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इन्हें आपके आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-2) में अनुसूची एफ.ए. के अंतर्गत टेबल डी में रपिएट किया जाना चाहिए, तथा इन परसिंपततयों का मूल्य विदेशी मुद्रा से परावर्तित करने के बाद रुपये में घोषित किया जाना चाहिए।

डिविडिंट को उनके भुगतान के साल में, अन्य स्रोतों से आय के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और करमचारियों को उस डिविडिंट पर लागू टैक्स का भुगतान करना होगा। डिविडिंट पर उस वर्ष में टैक्स लगता है, जिस साल वे अर्जति करें जाते हैं, भले ही उनका भारत में रेमटिंस किया गया हो या उनका फॉरि से निवेश कर किया गया हो।

आईटीआर - 2 फॉर्म में विदेशी संपत्तिया निवेश करने वाले करमचारियों के लिए कैलेंडर वर्ष के दौरान कसी भी समय आयोजित संपत्तिको प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए, विदेशी देश द्वारा अपने खाते बंद करने के लिए अपनाई गई अकाउंटिंग अवधिको परसिंपततयों की रपिएटगि के लिए अकाउंटिंग अवधिमाना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर दाखलि कर रहे हैं, आपको 1 जनवरी, 2025 से 31 दसिंबर, 2025 तक आपके पास मौजूद सभी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना होगा, जैसा कि अधिकांश देश मूल्यांकन के लिए कैलेंडर वर्ष का पालन करते हैं, भारत के विपरीत, जहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। यानी, अगर आपने दसिंबर 2025 में विदेशी स्टॉक/शेयर खरीदे हैं, तो उन्हें अभी भी वित्त वर्ष 26 में अनुसूची एफए में घोषित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जनवरी 2026 और मार्च 2026 के बीच अर्जति स्टॉक/शेयर या कसी भी संपत्ति का खुलासा वर्तमान आईटीआर फाइलिंग में नहीं बल्कि आकलन वर्ष 2027-28 में करना होगा।

¹⁶ आईटीआर में विदेशी संपत्तिका खुलासा करने में विफिलता 2015 के काले धन अधिनियम के तहत दंड दिया जा सकता है।

¹⁷ वर्ष के अंत में अल - संपत्तियों और देनदारियों को शेड्यूल करें (उस मामते में लागू जहाँ कुल आय 50 लाख ज्यादा हो)

आयकर रटिर्न में वदिशी संपत्ति अनुसूची भरना कसिके लाए ज़रूरी है?

यदि आप पछिले वर्ष में भारत के टैक्स नविसी हैं, आपके पास वदिशी संपत्तया बैंक खाते हैं या पछिले वर्ष के दौरान वदिशी आय अर्जति की है, तो आपको एफए भरना होगा। अनुसूची ए.

लागू स्लैब दर के बावजूद, अगर आप वित्तीय वर्ष में कसी भी समय कोई वदिशी संपत्ति रखते हैं तो आपको आईटीआर दाखिल करना होगा।

भारत में रहने वाले करमचारियों को 31 दिसंबर, 2025 को आयोजित वदिशी संपत्ति के लाए वदिशी संपत्ति अनुसूची को भरना होगा, भले ही:

- आपके पास कोई टैक्स योग्य आय नहीं है या आपकी आय मूल छूट सीमा के भीतर आती है। उसी जानकारी को कसी अन्य शेड्यूल में कैप्चर किया जाता है, जैसे शेड्यूल ALI।

- वदिशी संपत्ति को घोषित वदिशी या घरेलू आय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।

एफए में एक संपत्ति का खुलासा करने में वफ़िल रहने पर अनुसूची एक जुरमाना ट्रांजिशन कर सकती है, जबकि टैक्स के लाए कसी भी आय की रपीट नहीं करने के परणिमस्वरूप जुरमाना भी हो सकता है।

फॉर्म आईटीआर-2 में घोषणा का प्रारूप जब आप L'Air Liquide S.A. में शेयरों में नविश करते हैं।¹⁸

SN	देश का नाम और कोड	पनि कोड	संपत्ति की प्रकृति	स्वामित्व- सीधा / लाभकारी साथी / लाभारथी	अधिग्रहण की तारीख ¹⁹	कुल नविश (लागत पर) (रुपये में) ²⁰	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	आयकर योग्य और इस रटिर्न में ऑफर की गई		
									राशि	अनुसूची जहाँ की ऑफर किया गया	अनुसूची की आइटम संख्या
1	(2)	2 बी	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अगर आप शेयरों की शुरुआती बिक्री/राडिप्शन से कैप्टिल गेन करते हैं

फरांस एफएर	ESOP योजना के तहत L'Air Liquide S.A. में शेयर	कानूनी मालिक	(यदि) आप अन्य ESOP योजनाओं के तहत शेयर रखते हैं, तो कृपया संबंधित विवरण अलग से डालें।) कृपया कसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	(फुटनोट 20 देखें)	शून्य (अगर जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक कोई बिक्री नहीं है)। जब भी बेचा जाए तो कृपया बिक्री मूलय को बिक्री होने वाले महीने के ठीक पहले वाले महीने के अंतमि दिन की एसबीआई टा खरीद दर से गुणा करके, बेचे गए शेयरों के अनुपात में कलास 6 में, निविश लागत को घटाकर बताएँ। कृपया कसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य। कृपया केवल शेयरों की बिक्री के मामले में ही भरें और होलडिंग अवधि के आधार पर लॉन्ग टर्म या शार्ट टर्म कैप्टिल गेन चुनें। कृपया कसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य (यदि अधिग्रहण की तारीख से दिसंबर 2026 तक शेयरों की बिक्री नहीं होती है)। कृपया केवल शेयरों की बिक्री करने पर ही, कैप्टिल गेन (टैक्स योग्य) भरें। कृपया कसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य। कृपया केवल शेयरों की बिक्री के मामले में ही अनुसूची CG लाखें।	शून्य। कृपया लाखें बी(9) – परसंपत्तयों की बिक्री से जहाँ तक पर बी(8) लागू नहीं होते हैं- केवल शेयर बेचने पर ही और लॉन्ग टर्म कैप्टिल गेन (शार्ट टर्म होने पर, कृपया कैप्टिल गेन सेक्शन में एनुसूची भरें।
------------	---	--------------	---	-------------------	--	---	---	--	--

यदि आप डिविडेंट से आय अर्जति करते हैं

1	फरांस एफएर	ESOP योजना के तहत L'Air Liquide S.A. में शेयर	कानूनी मालिक	दोबारा इनवेस्ट किए गए डिविडेंट की रपाए में कौमत (यद्यपि लागू हो)। फुट नाट 22 देखें ²² । कृपया कसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य (अगर जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक कोई डिविडेंट नहीं बना है या मिला है)। अगर आप आगे के वर्षों में डिविडेंट से आय (अर्जति या प्राप्त) अर्जति करते हैं, तो कृपया नीचे फुटनोट 22 देखें और टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	डिविडेंट – «अन्य स्रोतों से आय»।	अर्जति और मलि डिविडेंट की राशि यदि कोई हो। कृपया नीचे फुटनोट 22 देखें।	अनुसूची एफए	शून्य।
---	------------	---	--------------	---	--	----------------------------------	--	-------------	--------

* इस अनुसूची में प्रकटीकरण तभी तक ज़रूरी है, जब तक आप आय प्राप्त नहीं करते/शेयरों को भुनाते हैं।

¹⁸ घोषणा का प्रारूप केवल समझाने के लाए है। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप अन्य ESOP योजनाओं के तहत शेयर रखते हैं तो आपको अतरिक्त खुलासे करने पड़ सकते हैं। कृपया अपना टैक्स रटिर्न दाखिल करने से पहले अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें।

¹⁹ शेयरों के आवटन की तारीख डालें।

²⁰ कृपया अपना (ु) L'Air Liquide शेयरों की खरीद लागत (शेयरों का एफएमवी) (+) सबसक्रप्शन पर आपको प्राप्त 20% छूट (रुपये में)। [=सबसक्रप्शन में L'Air Liquide शेयरों के एफएमवी को गुणा करें (संदर्भ मूल्य) * आपको अवृद्धि शेयरों की संख्या (Uptevia पौराण्ड देखें) यूरो और रुपये के बीच वरिसी वर्निमिय दर। L'Air Liquide द्वारा तय किया गया।]

²¹ कृपया कमाए गए कैप्चिल गेन (लॉन्ग टर्म शार्ट टर्म) को कालम 7 माइनस (-) कालम 6 डालें।

²² कानून के तहत, डिविडेंट के माध्यम से आय के संबंध में, कृपया डिविडेंट राशि को € में एसबीआई टा खरीद दर € से यु. तक गुणा करें, जिस महीने में डिविडेंट घोषित, वितरित या भुगतान किया जाता है, उससे पहले वाले महीने के आखिरी दिन तक।

कृपया अनुसूची AL, आईटीआर -2 का हसिसा भी भरें, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करदाता द्वारा रखी गई सभी परसिंपत्तयों और देनदारियों का खुलासा करना आवश्यक है। व्यक्तियों को अनुसूची AL अनविराय रूप से भरना होगा यदि उनकी कुल आय इससे अधिक है सभी कटौतियों के बाद उनकी आय 50 लाख है और उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया है। इससे कम कुल आय वाले व्यक्ति: 50 लाख तक की आय पर शेड्यूल AL फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

रडीम करने के लिए बकिरी से हुई आय का भारत में प्रत्यावरतन: myAL myShare 2025 के नियमों और शर्तों के अधीन, आप myAL myShare 2025 के तहत अर्जित अपने शेयरों के रडीम करने के लिए कह सकते हैं, बशर्ते कि शेयर रडीम करने से हुई सभी आय भारतीय नविसी कर्मचारियों द्वारा भारत में प्रत्यावरति की जाए और कसी भी मामले में ऐसे रडिंप्शन को के एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर किया जाए। भारत में नविसी व्यक्तिजिसिपर कोई विदेशी मुद्रा बकाया है या अर्जित की गई है, उसे ऐसी विदेशी मुद्रा को भारत में वापस लाने और वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने चाहए। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होने पर, व्यक्तियों को आय को भारत में ट्रांसफ़र करके या भारत में प्राप्त करके भारत को प्रत्यावरति करना होगा, तथा अन्य बातों के साथ-साथ, उसे भारत के बाहर कसी देश में प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए रुपए के बदले में भारत में कसी प्राधिकृत व्यक्तियों को बेचना होगा। कसी व्यक्तियों को भारत में प्राप्त विदेशी मुद्रा को तब प्रत्यावरति करने वाला माना जाता है, जब वह भारत के बाहर कसी देश में स्थाने कसी बैंक या एक संचेज हाउस के खाते से, जो कसी प्राधिकृत व्यापारी के पास हो, भारत में रुपए में भुगतान प्राप्त करता है। शेयर रडीम करने से होने वाली आय को आपके आईटीआर में सूचित किया जाना चाहए और उस पर लागू स्लैब दरों पर टैक्स का भुगतान, सरचारज और स्वास्थ्य और शक्षिका सेस के साथ किया जाना चाहए।

क्या आपके नियोक्ता पर रपिरेटिंग दायतिव है?

आपका नियोक्ता आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कसी भी रपिरेटिंग दायतियों के अधीन नहीं है (जिस महीने में टैक्स काटा जाता है, उसके अंत से सात दिनों के भीतर रोके गए टैक्स को जमा करने के अलावा।) नियोक्ता को स्रोत पर काटे गए टैक्स के संबंध में त्रैमासिक विद्युलडगि टैक्स स्टेटमेंट भी दर्ज करना होगा। रयियत मूल्य और उस पर काटे गए टैक्स को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नियोक्ता द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए गए फॉरम 16 और फॉरम 12बीए में दखिल किये जाना चाहए। हालांकि, आपके नियोक्ता को छमाही के अंत से 60 दिनों के भीतर फॉरम ओपीआई में एक रपिरेट दर्ज करनी होगी (यानी, सतिंबर या मार्च के अंत में, जैसा भी मामला हो) जिसमें myAL myShare 2025 के तहत शेयर या ब्याज का अधिगिरहण या हस्तांतरण किया जाता है। इस तरह की रपिरेटिंग अपने अधिकृत डीलर के माध्यम से, रेमटिंस, शेयरों की पुनर्रखीद, लाभार्थियों आदिका विवरण देते हुए दायर की जानी चाहए। इसके अलावा, myAL myShare 2025 में भारतीय भाग लेने वाली संस्थाओं को इसकी अवधि के दौरान ऐसी रपिरेट दर्ज करनी होगी।

टैक्स के भुगतान का समय और तरीका क्या है?

सबसक्रिप्शन पर उपलब्ध शेयर मूल्य की छूट आपके ऊपर एक रयियत के रूप में कराधान के अधीन होगी। नियोक्ता आपके लिए लागू दर पर टैक्स रोक लेगा और टैक्स अधिकारियों को भेज देगा।

डिविडेंट और कैपिटल गेन पर टैक्स का भुगतान करने की देयता आपके साथ नहिं है, और आपका नियोक्ता टैक्स को रोकने या उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित नियत तारीखों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रटिरन दाखिल करते समय आप टैक्स का भुगतान करेंगे। एडवांस टैक्स का भुगतान कसितों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कसिते 15 जून, 2025; 15 सतिंबर, 2025; 15 दिसंबर, 2025; और 15 मार्च, 2026 को देय हैं। एडवांस टैक्स नियमों के लिए आवश्यक है कि आपके टैक्स बकाया (पूरे वर्ष के लिए अनुमानित) का भुगतान एडवांस में किया जाए। आपका नियोक्ता सबसक्रिप्शन पर स्रोत पर टैक्स काटता है, यदि आपने कैपिटल गेन या डिविडेंट आय अर्जित की है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ सकता है। 15 मार्च, 2026 तक, आपके टैक्स का 100% भुगतान हो जाना चाहए। भुगतान न करने या वलिंबित एडवांस टैक्स भुगतान के चलते दंडात्मक ब्याज लग सकता है। हालांकि, कैपिटल गेन पर टैक्स का अनुमान लगाना और पहले कुछ कसितों में एडवांस टैक्स जमा करना मुश्किल हो सकता है। अगर रडिंप्शन या बकिरी बाद में वर्ष में होती है। आयकर प्रावधानों के अनुसार, कैपिटल गेन पर संपूर्ण टैक्स भुगतान एडवांस टैक्स द्वारा कसितों में किया जाना है, जो कैपिटल गेन होने के तुरंत बाद देना होता है। इसलिए, जब एडवांस टैक्स कसितों का भुगतान किया जाता है, तो कैपिटल गेन के कारण कसित कम होने पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाता है। अग्रमि टैक्स की शेष कसित (शेयरों की बकिरी के बाद), जब भी देय हो, कैपिटल गेन पर बने टैक्स को शामिल करना चाहए। टैक्स के बारे में कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।